भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2733
दिनांक 05 अगस्त, 2025 /14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में विकास

2733. श्री अनिल बलूनी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सरकार की इन क्षेत्रों के नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए प्रस्तावित योजना क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-I (वीवीपी-I) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक ₹4800 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 के लिए ₹6839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को स्वीकृति दी है। यह कार्यक्रम वीवीपी-I के अन्तर्गत पहले से ही सम्मिलित की गई उत्तरी सीमा के अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबी) से सटे प्रखंडों में स्थित चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार से होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने और सीमावर्ती जनसंख्या को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने के लिए बेहतर जीवन स्तर और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 2733, दिनांक 05.08.2025

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें खुशहाल बनाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है (कार्यक्रम वर्तमान में समाप्ति चरण में है)। गत पिछले 10 वर्षों के दौरान बीएडीपी के लिए बजट आवंटन ₹6634.24 करोड़ है।

(ग): एनडीआरएफ द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर भूमि स्तर पर आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, विशेषकर आपदा संभावित अथवा संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने हेतु शिक्षित, जागरूक एवं सशक्त बनाना है, ताकि जन एवं संपत्ति की हानि को न्यूनतम किया जा सके। पिछले पाँच वर्षों में एनडीआरएफ द्वारा सीमावर्ती राज्यों में कुल 5,451 सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 7,68,116 लाभार्थी लाभान्वित हुए है ।

****